13.2.23

वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पो० द्वारा फार्म नं०-3 के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज० अजमेर में विचाराधीन द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 L.R. Act. विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.5.2018 न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर व मुकदमें उनवानी अजमत खां वगै० v/s सूरज भान वगैरह प्रकरण सं० 5/2018 की अपील मीमो एवं आर्डर शीट की प्रति जो राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रमाणित है की प्रतियां पेश कर कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा संख्या 5/18 अजमत खां वगैरह बनाम सूरजभान वगैरह

NEXT →

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.23	मे पारित निर्णय दिनांक 17.5.2018 के खिलाफ द्वितीय अपील माननीय न्यायालय मे दायर की जा चुकी है जो वर्तमान मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के स्तर पर अपने निर्णय को रिव्यु किया जाना उचित नहीं रहता है। तब जबकि अपीलीय अदालत में न्यायालय हाजा के उक्त मूल निर्णय की द्वितीय अपील विचाराधीन हो ऐसी स्थिति में यह रिव्यु इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों का राजकीय अधिवक्ता को अवलोकन कराया गया। हस्तगत प्रमाणित प्रतियों की सत्यता से राजकीय अधिवक्ता द्वारा सहमति जाहिर की गई। वकील उभयपक्ष को सुनने एवं पत्रावली और हस्तगत वकील रेस्पो० की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के मूल निर्णय दिनांक 17.5.18 के खिलाफ राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे द्वितीय अपील स्वा 7290/2018 रत्तीराम v/s अजमत विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा के स्तर पर मूल निर्णय दिनांक 17.5.2018 को रिव्यु किया जाना विधि-सम्मत नहीं रहता है। NEXT →	

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.2.23	लिहाजा तहसीलदार सैंपऊ की ओर से प्रस्तुत पत्र दिनांक 8.1.19 जिसके आधार पर अदालत हाजा मे रिव्यु दर्ज किया गया हो के गुणागुण पर विचार किये बिना रिव्यु प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। 13/2/23 संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर